लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 10 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. X Contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 23, मंगलवार, 14 दिसम्बर, 1971/23 अग्रहायण, 1893 (शक)
No. 23, Tuesday, December 14, 1971/Agrahayana 23, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
हिन्द महासागर में अमरीका के सातवें बेड़े की गतिविधि के बारे में	Re. Movement of the U.S. Seventh Fleet into the Indian Ocean	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	2—4
पूर्वी क्षेत्र में भारतीय तेल कम्पनी के उत्पादों की चोरी के बारे में 9 अगस्त, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1646 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. No. 1646 dated 9.8.1971 Re. Pilferage of I.O.C. products in the Eastern region	5
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1971-72	Demands for Supplementary Grants (General), 1971-72	5
श्री वीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	5
श्री आर० के० सिंह	Shri R. K. Sinha	6
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	6
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	7
श्री मोहनराज कलिंगरायार	Shri Mohanraj Kalingarayar	7
डा० लक्ष्मीनारायण पाँडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	8—9
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	9
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	9—10
विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1971 (पुरःस्थापित और पारित)	Appropriation (No. 4) Bill, 1971—Introduced and passed	11
विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव	Motions to consider and pass	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	11—12
अनुदानों की अनुपूरक माँगें (पंजाब), 1971-72	Demands for Supplementary Grants (Punjab), 1971-72	12
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	12—13
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	13—14
श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र	Shri Teja Singh Swatantra	14—15
श्री राम सहाय पाँडे	Shri R. S. Pandey	15

	Subjeet	Pages
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	16—17
श्री बूटा सिंह	Shri Buta Singh	17
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	17
रक्षा मन्त्री के वक्तव्य के बारे में	Re. Statement by Defence Minister	15
पंजाब विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 पुरःस्थापित	Punjab Appropriation (No. 2) Bill, 1971 Introduced	20
विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव	Motions consider and pass	
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganeeh	20
पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) विधेयक	Nor h Eastern Areas (Reorganisation) Bill	21
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	21
भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के संबंध में वर्तमान स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Latest position with regard to Pakistani Aggression on India	23
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	23

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 14 दिसम्बर, 1971/23 अग्रहायण, 1893 (शक)
Tuesday, December 14, 1971/Agrahayna 23, 1893 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Ten of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Speaker** *in the Chair*]

हिन्द महासागर में अमरीका के सातवें बेड़े की गति विधि के बारे में
Re. Movement of the U. S. Seventh Fleet into the Indian Ocean

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायामण्ड हार्बर) : मैंने संयुक्त राज्य के सातवें बेड़े के आगमन से उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव सरकार के अधीन किसी विषय के सम्बन्ध में ही रखा जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे सकती है। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना भी दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा। कृपया स्थगन प्रस्ताव को नई परिभाषा न दीजिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : ढाका से कुछ अमरीकियों को निकालने के लिए हिन्द महासागर में आ रहे सातवें बेड़े के द्वारा अमरीका भारत को डराना और ब्लैकमेल करना चाहता है। हम सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि सरकार उसकी इस गीदड़ भभकी में नहीं आयेगी। सरकार देश को अपने विश्वास में ले और बताए कि इस स्थिति को चुनौती देने के लिए उसने क्या किया है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : कुछ अमरीकियों को ढाका से निकालने के झूठे बहाने से अपने सातवें बेड़े के जहाज एन्टरप्राइज को हिन्द महासागर में भेजना राष्ट्रपति निक्सन की शरारतपूर्ण कार्यवाही है। इससे भारत की सुरक्षा को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। अतः इस पर सभा में चर्चा होनी चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह साम्राज्यवादी अमरीका की एक चाल है जबकि बंगला देश में पाकिस्तानी सेना आत्म समर्पण कर रही है। पाकिस्तान रेडियो द्वारा बंगला देश स्थित सेना को भी यह सूचना दी जा रही है कि अमरीका का सातवां बेड़ा उनकी सहायता करने आ रहा है।

मुझे पता है कि हमारी प्रधान मंत्री और सरकार इस धमकी के आगे झुकेंगी नहीं और इस बेड़े का यहां भी वैसा ही हाल होगा जैसे कि अमरीकियों को उत्तरी कोरिया और वियतनाम में मुंह की खानी पड़ी। जो भौंकते हैं, काटते नहीं। हम सब अपनी पवित्र भूमि के लिए लड़ने को तैयार हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत दिल्ली वित्त निगम का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री के० आर० गणेश**) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अन्तर्गत दिल्ली वित्त निगम के 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए र्ष के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1267/71**]

(2) अधिसूचना संख्या एफ० 5(14)—डबल्यू एण्ड एम/71 दिनाँक 13 दिसम्बर, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसके द्वारा तीन राष्ट्रीय रक्षा ऋण जारी करने की घोषणा की गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1268/71**]

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन आदि

सिंचाई और विद्युत मंत्री (**डा० के० एल० राव**) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनाँक 19 मार्च, 1970 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(क) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1269/71**]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नई दिल्ली, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नई दिल्ली, का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर विधेयक नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रंथालय रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1270/71**]

अतारांकित प्रश्न संख्या 5229 के 19 जुलाई, 1971 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मैं बेरोजगार इंजीनियरों को पेट्रोल पम्प देने के बारे में श्री बी० के० दास चौधरी के अतारांकित प्रश्न संख्या 5229 के 19 जुलाई, 1971 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने के सम्बन्ध में एक विवरण तथा उत्तर को शुद्ध, करने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1271/71**]

प्रशुल्क आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन (1971) आदि

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) (क) रंजक-मध्यवर्ती उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन (1971) । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1272/71**]

(ख) सरकारी संकल्प संख्या 14(5)—टी०ए०आर०/71, दिनांक 10 दिसम्बर, 1971, जिसके द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन के बारे में सरकार के निर्णय अधिसूचित किए गए हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1273/71**]

(दो) (क) अल्यूमिनियम उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1971)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1274/71**]

(ख) सरकारी संकल्प संख्या 1(1)—टी०ए०आर०/71, दिनांक 10 दिसम्बर, 1971 जिसके द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन के बारेमें सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1275/71**]

(2) उपर्युक्त मद (1) दो में उल्लिखित दस्तावेज उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में विहित अवधि के भीतर सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का एक विवरण। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी 1276/71**]

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12क के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1277/71**]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट और गारंटी निगम, लिमिटेड, बम्बई, के 1 जनवरी, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट और गारंटी निगम, बम्बई, का 1 जनवरी, 1969 से 31 दिसम्बर 1969 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1278/71**]

अतारांकित प्रश्न संख्या 2718 के 22 जुलाई, 1971 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : मैं बाढ़ के कारण हुई हानि के लिए राज्यों को सहायता के बारे में श्री एन०ई० होरो के अतारांकित प्रश्न संख्या 2718 के 22 जून, 1971 को दिए गये उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक विवरण तथा उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1279/71**]

पूर्वी क्षेत्र में भारतीय तेल कम्पनी के उत्पादों की चोरी के बारे में 9 अगस्त, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1646 के उत्तर में शुद्धि

Correction to Answer to S. Q. No. 1646 dated 9. 8. 1971. re : Pilferage of I. O. C. products in the Eastern Region

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : 9-8-1971 को तारांकित प्रश्न संख्या 1646 के उत्तर को सभा-पटल पर प्रस्तुत करते समय मैंने उक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया था कि कलकत्ता स्थित भारतीय तेल निगम लि० के पास प्राइवेट टैंक ट्रक कान्ट्रैक्टर्ज के उत्पादों के उठाईगीरी के सम्बन्ध में दो शिकायतें (अर्थात् नवम्बर, 1970 में राजबन्ध पर उक्त निगम के प्रतिस्थापन प्रबन्धक से और फरवरी 1971 में एक उपभोक्ता से) प्राप्त हुई थी। भारतीय तेल निगम लि० से अब प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सही स्थिति यह है कि दूसरी शिकायत उक्त निगम के बज-बज प्रतिस्थापन को दिसम्बर, 1970 में प्राप्त हुई थी।

2. उपर्युक्त सूचना के अनुसार मैं माननीय सदस्यों को पहले दिए गये उत्तर में संशोधन के लिए निवेदन करता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि पहले दी गई अशुद्ध सूचना, भारतीय तेल निगम की पूर्वी शाखा से टेलीफून पर शीघ्रता से प्राप्ति के कारण थी और इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ।

अनुदान की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1971-72

Demands for Supplementary Grants (General), 1971-72

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय आदि में आए शरणार्थियों से सम्बन्धित अनुदानों की अनुपूरक मांगें यहां प्रस्तुत हैं, पर पाकिस्तानी आक्रमण के कारण उन्ही प्रदेशों के शरणार्थियों के बारे में सरकार ने क्या सोचा है ? लगभग 10 नगर बिल्कुल ध्वस्त हो गये है। परन्तु इस कारण से विस्थापित हुए लोगों के लिए इस अनुपूरक बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

पश्चिम बंगाल में 400 मिलों के तुरन्त चलाये जाने की आवश्यकता है। विरोधी दलों के प्रति सरकार का अभी भी वही रवैया है जो इस आपात की स्थिति से पहले था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

ऐसी स्थिति में मिल मालिकों को जिन्होंने इस देश में बड़ी खुराफातें की है कोई मुआवजा नही दिया जाना चाहिये। मुआवजा देने के बजाय सरकार को उद्योग और कृषि की ओर अधिक जागरूक रहना चाहिए।

शरणार्थियों की सहायता की समस्या पर भी फिर से गौर करना पड़ेगा क्योंकि धन की कमी के कारण उन्हें समुचित सहायता नहीं दी जा रही है।

हमारी इस समय की मुख्य आवश्यकता यह है कि बन्द मिलों को चालू किया जाये, दमन-चक्र समाप्त किए जाए, सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा किया जाए, छटनी तालाबन्दी आदि बन्द की जाये, एकाधिकार वादियों पर कर लगाया जाये तथा आम जनता पर किसी प्रकार का भार न डाला जाये, अमरीका की सभी तेल फर्मों और अन्य फर्मों को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये ।

सीमावर्ती राज्यों पंजाब, राजस्थान और काश्मीर की जनता के सम्बन्ध में नागरिक परिषद चिन्तित है । इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री आर० के० सिंह (फैजाबाद) : मैं अनुपूरक मांगों और नये कराधान का समर्थन करता हूँ । ये बजट प्रस्ताव ऐसे समय में संसद में लाये गए हैं जबकि पाकिस्तान के सैनिक प्रशासन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, तथा चुनावों के आधार पर बहुमत से चुने गए शेख मुजीब को वहां का प्रधान मन्त्री नहीं बनाया क्योंकि वह भारत से मैत्री रखने के पक्षपर थे । अत: ऐसी स्थिति में और अधिक संसाधन जुटाने चाहिए और इसी उद्देश्य से यह कर लगाए गए हैं । इस संकट के समय में सारा देश प्रधान मन्त्री के साथ और बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार है ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The people of our country are fighting valiantly against the American Imperialists and their stooges in order to liberate Bangla Desh and in this context the Government has moved the additional Demand No. 25 for enabling itself to help the refugees from Bangla Desh. Since the policy of American imperialists is clear, their capital and their assets in our country must be forfeited and they should be told that we are not going to be cowed down by their threats.

The Government should help the refugees to the best possible extent but the corruption prevalent there must be stopped and the wrong doers must be subjected to severest punishment.

The Government has made provision regarding advances to States through Demand No, 121, but the help extended to flood ravaged Bihar is not enough,

After the take-over of D. T. U. in Delhi, steps should be taken to remove the difficulties being faced by the travelling public.

Through Demand No. 144, the financial allocation for the P & T Department has been sought but adequte provision has not been made for providing accomodation to the employees of this Department. The Government should take steps to this effect. During this emergency, no individual unit should be allowed to close down and if the employers express their inability to run their units, their units must be taken over by the Government.

Immediate repair of the roads and highways is essential because many of the roads in Bihar, important from strategic view point, have been damaged due to recent floods.

To-day, U. S. A. and China have come closer to each other and they are having hostile attitude towards us. Every citizen of India, be he a labour or a farmer, is with the Government in its attempt to meet this danger.

In demand No. 134, allocation has been sought for roads. The roads which have been damaged by floods should be repaired immediately, particularly in Bihar. It is necessary to provide good roads in veiw of the out-break of war.

The Government should also see that the interests of labourers are protected so that all the people of India may collectively contribute their might for giving a befitting reply to the enemy.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) इस समय जबकि पाकिस्तानी सैनिक शासकों ने भारत पर युद्ध थोप दिया है, केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ तथा तूफान पीड़ित राज्यों के अ-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 20 करोड़ रुपये अग्रिम राशि के रूप में देना स्वीकार करके सराहनीय कदम उठाया है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों की मरम्मत कराने के लिए केन्द्रीय सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को ऋण दिये गये थे परन्तु उन्हीं क्षेत्रों में फिर तूफान आ गया और काफी बरबादी हुई फिर भारत सरकार द्वारा उन कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण दिए गए हैं जिनके मकान बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं किन्तु निम्न स्तर के अधिकारी उन सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने बाढ़ के लिए अग्रिम धन लिया था, कह रहे हैं कि वह उसकी सारी राशी वापस कर दें तभी उन्हें तूफान के कारण दिऐ जाने वाला ऋण दिया जाएगा । तूफान के कारण दिए जाने वाले अग्रिम में से बाढ़ के कारण दिए जाने वाले अग्रिम धन की कटौती की जा रही है । वर्तमान नियमों में कुछ कमी होने के कारण वितरण अधिकारियों ने उससे लाभ उठाया है सरकार को निर्देश देने चाहिए कि जहां तक बाढ़ के कारण राहत के रूप में दी गई धन राशि का सम्बन्ध है, इसे तूफान के कारण दिए गए अग्रिम धन में से नहीं काटा जाय बाढ़ राहत के लिए दिए गए धन चुकाने के बाद ही तूफान से हुई क्षति के लिए दिया गया अग्रिम धन वापस लिया जाना चाहिए ।

भारत सरकार ने उड़ीसा में तूफान पीड़ित लोगों को पुनः बसाने के लिए कुल कितनी राशि दी है ।

तूफान तीन महीने पहले आया था परन्तु इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम धन देने सम्बन्धी आदेश उड़ीसा में स्थानीय अधिकारियों को नहीं भेजे गए हैं तथा ऋण नहीं दिए जा रहे हैं ।

मांग संख्या 25 के अन्तर्गत शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग की गई है । अब जब बंगला देश को स्वतन्त्र कराया जा रहा है । तो सरकार को यह देखना चाहिए कि शरणार्थी योजनाबद्ध रूप से बंगला देश वापस जायें ।

श्री मोहनराज कलिंगरायार (पोल्लानी) : देश की समस्त जनता देश की स्वतन्त्रता तथा अखंडता की सुरक्षा के प्रयासों में सरकार के साथ है तथा सरकार को वह अपना पूरा समर्थन देने में किसी तरह पीछे नहीं रहेगी । सरकार से हमें आशा है कि वह आवश्यक वस्तुओं तथा न्यूनतम आवश्यकताओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध करायेगी । सरकार को भारत रक्षा अधिनियम के उपबन्धों को लागू कर देना चहिए और जमाखोरों तथा सट्टेबाजों को, जो देश के आन्तरिक शत्रु हैं, समाप्त कर देना चाहिए ।

आयकर-अधिनियम में संशोधन कर दिया जाना चाहिए ताकि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष अवधि के अन्दर करों की बकाया राशि का भुगतान न करे तो उसकी संपत्ति को अपने नियंत्रण

में लिया जा सके। इ से सरकार को आयकर तथा संपत्ति कर की बकाया राशि उगाहने में सहायता मिलेगी जो करोड़ों रुपयों में है।

यह सर्वविदित है कि बड़ें-बड़े एकाधिकारी अपने उत्पादन के बड़े भारी अंश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर विक्रय कर अपवंचन करने में समर्थ हो जाते हैं। यदि आवश्यक समझा जाए तो राष्ट्रपति के अध्यादेशों द्वारा सरकार को इस प्रकार की हरकतों को समाप्त कर देना चाहिए

कुछ राष्ट्रों द्वारा आर्थिक सहायता बंद किए जाने की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऐश्वर्य की वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। ऐश्वर्य की वस्तुओं के वार्षिक आयात की औसत 100 करोड़ रुपये बैठती है। विदेशी मुद्रा के ससाधनों की रक्षा करनी चाहिए।

एक चिट फंड मालिक ने जमा पूंजी से लाखों रुपये के मूल्य के 8 मकान खरीदे हैं और वह आयातित डीलक्स कारों के क्रय-विक्रय का काम कर रहा है। गैर बैंकिंग कम्पनियों को जनता से जमा पूंजी लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अभी भी भारी घाटे में चल रहे हैं। यद्यपि हमने इन उपक्रमों में 3,000 करोड़ रुपये लगा दिये हैं तथापि उसके लाभकारी परिणाम नहीं निकले हैं। इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये उपक्रम घाटे में न चलें।

आज जिस संकट की घड़ी से देश गुजर रहा है उसमें हम देश के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलने को तत्पर हैं और तमिलनाडु की सरकार ने भी देश की सुरक्षा के लिए सहयोग देने का प्रस्ताव किया है।

Dr. Laxmi Narain Pandey (Mandsaur) : I do not want to criticise the Government at this critical juncture but it appears that the Government is not so thoughtful about preparing budget as it should be. Previously, an amount of rupees sixty crores was provided in the budget for refugees and now they are asking for a provision of one hundred crores of rupees for that purpose. The Government was of the view that the refugees would return to their homeland within six months, but they did not return. Because of that to-day we are facing Pakistani aggression.

The Government has made a provision of advances and loans for the non-gazetted employees of the Central Government belonging to the flood and cyclone affected States, but some of the employees have not been able to get loans. The Government should pay attention towards them and the causes of the non-payment of loans to them should be ascertained.

It has also been proposed to give about rupees two crores to the Textile Corporation. I do not agree to it. So many textile mills have been taken over but I would like to draw the attention of the Government to the provident fund of employees of such textile mills because the previous management had defaulted in payment of Provident Fund dues of the employees to the extent of Rs. 19.7 lakhs. I request that steps be taken to see that the workers get their provident fund dues.

Public undertakings like Heavy Engineering Corporation are running at heavy losses and inspite of that the Government continue to extend financial help to them. What measures the Government have adopted or propose to adopt to convert losses into profits ?

A token grant for the construction of three hotels has been sought. To-day hotels are in a poor condition and they incur losses. Do the Government still want to run the hotels knowing that they incur losses ? The deficit budget was estimated at Rs. 2.33 crores. It is likely to increase upto Rs. 600 crores. During the state of emergency in the country, it would be better for the Government to give thought to this aspect.

There are proposals of constructing quarters for P & T staff. Such quarters should be constructed where it is essential to do so.

Shri Birendra Singh Rao (Mahendragarh) : While going through the book-let on Supplementary Demands I noticed that a demand has been made for the Ministry of Defence and it was my expectation that the Government must have sought a few crores of rupees to grant a sum of rupees twenty thousand or so as prize, on uniform basis, to our brave jawans who destroy tanks or aeroplanes. It was also my expectation that full pension would be given to the families of martyrs as would have been the case how they been living. I know of a case of a retired jawan of Patiala Force who was sanctioned an amount of Rs. 75.00 as pension in 1950, but his contention was that he should be paid pension at the rate of Rs. 156.00 per month. After 20 years' of litigation, the High Court gave judgement in his favour. This is how the pensions of retired armymen are calculated by the accountants of the Finance Ministry. The demand for rupees eight thousand in Supplementary Demands shows the narrowmindedness of the Shylocks who are working as Accounts Officers in the Ministry of Finance who always want to impair the bravery of our soldiers. The families of those vallant soldiers who lay down their lives for the mother-land gallantly and bravely are harassed and after a great turmoil they are able to get very little amount as pension. I hope the Government would look into this aspect.

There is Demand No. 47 which is about Chandigarh. After prolonged consideration and calculations, the Government arrived at the conclusion that the expenditure of the University at Chandigarh should be borne by the States of Himachal Pradesh, Haryana, Punjab and Union territory of Chandigarh on the basis of the number of students of these states receiving education in that University. But this method of distributing the expenditure is not proper.

The Shah Commission recommended Chandigarh in favour of Haryana but the Central Government kept it as a Union territory. The expenditure of the University should, therefore, be borne by the Central Government. This burden should in no case be put on Haryana, particularly when an announcement had been made that Chandigarh would be given to Punjab.

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : पुनर्वास विभाग से सम्बन्धित बातों पर मैं कुछ कहना चाहता था···

अध्यक्ष महोदय : यह मैं आप पर ही छोड़ता हूं । वैसे ही हमने अधिक समय ले लिया है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : वाद-विवाद से स्पष्ट हो गया है कि इस देश की सुरक्षा के लिए सभी लोगों ने दृढ़ निश्चय कर रखा है । जो देश हमें धमकियां देना चाहते हैं दबाव डालना चाहते हैं, वे हमें अपने उस पथ से विचलित नहीं कर सकते हैं जो पथ हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने से सम्बन्धित हो ।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए संसाधन जुटाने सम्बन्धी भरसक प्रयास किये जाने चाहियें ।

साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के सदस्य ने संसाधनों को जुटाने तथा जन-प्रयास को अधिक सक्रिय बनाने के सुझाव दिये । इन सुझावों में से कुछ पर सरकार विचार कर रही है । जहाँ तक

बन्द मिलों को पुनः चलाने का सम्बन्ध है, औद्योगिक विकास मंत्रालय इस बारे में गम्भीरता से विचार कर रहा है। तूफान राहत के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली अग्रिम राशि सम्बन्धी नियमों पर भी सरकार विचार करेगी। जहां तक भविष्य निधि का सम्बन्ध है, सरकार अपने वचन को पूरा करेगी। इंडियन इलैक्ट्रिक वर्क्स के श्रमिकों की भविष्य निधि का धीरे-धीरे भुगतान किया जा रहा है। जहां तक एच० ई० सी० जैसे सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है इसके सम्बन्ध में ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिससे इनमें कार्यकुशलता बढ़े और इनमें लाभ अधिक होने लगे।

प्रमुख माँग बंगला देश से आये शरणार्थियो पर होने वाले खर्च के लिए है। इसके लिए हमने 100 करोड़ रुपये की राशी उस बजट में रखी है। माननीय सदस्य स्थिति के प्रति जागरूक हैं और उन्होंने इसीलिए अपनी टिप्पणियां सक्षेप में की हैं। इन शब्दों के साथ में सभा से सिफारिश करता हूँ कि वह बजट पास करे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands for Supplementary grants were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
	(वित्त मंत्रालय)	
24	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय.....	3,16,20,000
25	राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान.....	1,00,00,00,000
	(विदेश व्यापार मंत्रालय)	
35	विदेश व्यापार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय.....	2,00,00,000
	(गृह मंत्रालय)	
47	चण्डीगढ़.....	37,77,000
	(औद्योगिक विकास मंत्रालय)	
54	उद्योग.....	10,40,000
	(श्रम और पुर्नवास मंत्रालय)	
63	श्रम और पुर्नवास मंत्रालय.....	8,00,000
	(इस्पात और खान मंत्रालय)	
80	इस्पात और खान मंत्रालय.....	1,000
	(वित्त मंत्रालय)	

121	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम..... (विदेश व्यापार मंत्रालय)	29,76,43,000
124	विदेश व्यापार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय (नौवहन और परिवहन मंत्रालय)	1,000
136	नौवहन और परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय..... (इस्पात और खान मंत्रालय)	4,50,01,000
137	इस्पात और खान मंत्रालय का पूंजी परिव्यय..... (निर्माण और आवास मंत्रालय)	59,02,20,000
141	दिल्ली पूंजी परिव्यय..... (संचार मंत्रालय)	1,000
144	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (जिसे राजस्व खाते से पूरा नहीं किया गया).....	1,000

विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1971

APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1971

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971—72 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1971—72 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृव करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार कि । जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 और 3, अनुसूची खंड । अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3 the Schedule clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब) 1971-72

Supplementary Demands for Grants (Punjab) 1971-72

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पंजाब राज्य के वर्ष 1971-72 के बजट के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विचार और मतदान करेगी ।

श्री दशरथ देव : (त्रिपुरा पूर्व) : श्रीमान्, माँग संख्या 9 के अन्तर्गत अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण बोर्ड के गठन के लिए 5,51000 रुपये की राशि मांगी गई है । मेरी जानकारी के अनुसार इस बोर्ड का अस्तित्व अब ना के बराबर है, इसलिए यह मांग फिजूल है । मांग संख्या 13 के अन्तर्गत राज्य में मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के लिए विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 22,58,000 रुपये की राशि माँगी गई है । एक ओर देश को युद्ध से निपटना पड़ रहा है और

दूसरी ओर मंत्रियों और गणमान व्यक्तियों के विश्राम गृहों को वातानुकूलित बनाने या उनमें उत्तम किस्म का फर्नीचर डलवाने के लिए इतनी बड़ी राशि मांगी जा रही है। अतः मैं इस माँग का विरोध करता हूँ। साथ ही मेरा यह अनुरोध है कि मैसर्स हिमालय मिल्स को पंजाब सरकार ने 13,15 000 रुपये की जो राशि एक चलचित्र बनाने के लिए दी थी, वह राशि उक्त फर्म से वसूल की जाये, क्योंकि उसने प्रस्तावित चलचित्र बनाने में असमर्थता प्रकट की है। राज्य में सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण तथा निचले स्थानों में पानी के भर जाने की योजनाओं के लिए 5,25 000 रुपये की राशि मांगी गई है। यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

जहां तक पुलिस बजट का सम्बन्ध है, इसके लिए 1,13,53,518 रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है। इसके लिए तर्क यह दिया गया है कि राज्य में बढ़ती हुई नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से पुलिस की शक्ति बढ़ाई जायेगी। परिणामतः पुलिस अधीक्षक के तीन पद बढाये जायेंगे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तीन पद नये बनाये जायेंगे और उनके लिए अपेक्षित अन्य कर्मचारी भर्ती किये जायेंगे। पंजाब एक छोटा राज्य है, उसमें इतने बड़े पुलिस दल की क्या आवश्यकता है। क्या सरकार पुलिस के माध्यम से राज्य में राजनीतिक गतिविधियाँ ही समाप्त करना चाहती है ? दूसरे, पंजाब में नक्सलवादी गतिविधियां भी नगण्य ही हैं। नक्सलवादियों और समाज विरोधी तत्वों को दबाने का बहाना लेकर सरकार पुलिस को अधिक शक्ति देने जा रही है। इससे पूरे राज्य में एक खराब वातावरण पैदा हो जायेगा और इसके लिए अब केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार होगी। गत दो वर्षों में पुलिस ने अनेक अत्याचार किये हैं। अनेक छात्रों और कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बिना वजह ही पकड़ा। उनमें से कई को उसने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस उन गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों को पकड़ लेती है और उन पर अत्याचार करती है, जो निष्काम्य भूमि के ठीक वितरण के लिए आन्दोलन करते हैं। उन्हें वह नक्सलवादियों की संज्ञा दे देती है। अन्त में सरकार से अनुरोध है कि वह आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम का दुरुपयोग न करे और पुलिस लोगों को बिना कारण गिरफ्तार न करे और उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करने दे और अपने विचार व्यक्त करने दे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Dardara Singh (Hoshiarpur): The estimates in the Supplementary Budget of Punjab amount to Rs. 3183.27 lakhs. Punjab State is facing extra ordinary situation these days. So supplementary demands in respect of Punjab State are justified. Our jawans are fighting against the forces of Pakistani Junta all along the borders. They are giving tough fight to Pakistani troops. As a result, the Pakistanis are retreating and Indian troops are advancing. In Punjab State, in border areas, a nnmber of canteens are being run for jawans who are showing their chivalry in the war with Pakistan. The people of Punjab are rendering good service to the jawans. They are supplying food, Clothes, blankets, milk etc. for them. They are donating liberally for National defence Fund. Government should, therefore, pay attentions to them. Here I would like to point out one thing. A sum of about 21 lakhs of rupees has been provided for renovation of rest houses in the State. Rest houses are proposed to be provided with modern amenities like good furniture sanitary installations, refrigerators and air-conditioners. This amount should be spent on rehabilitation of refugees or on providing more facilities to those who are fighting on borders. Money should not be spent for non-productive purposes. Instead, it should be spent on productive works. Money should be spent on the welfare of families of those who have laid their lives while defending their mother-land.

There are loop-holes in the budget. Last time also, the government had given Rs. 19,46,000 to jail authorities for supplying furniture for the schools. But the furniture

was not supplied. The Government should find out the reasons therefor. This is a stereo typed budget. It does not contain any concrete proposal. The Government should have examined the budget with a view to know as to whether money if being provided for essential items. This budget has not been prepared keeping in view the emergency in the country. Certain works have been included in the budget which have already been accompalished. We should strengthen our borders. We should provide telephones, wireless sets, vehicles for the Police so that District Headquarters are posted with the latest information within a few minutes.

Adequate facilities have not been provided at the railway station Chandigarh. It is just like a flag station. Government should look in to this matter.

Rupees ten crores have been provided for Electricity Board. We want that sufficient power should be available in the state. Electricity should be provided to villages and towns. There should be no crisis in so far as power is concerned. In my opinion. it is not proper to ask for this huge amount at the time of emergency. We want that agricultural and industrial development should not hamper. But this amount should be reduced keeping in view the emergency. It can be spread over to two years instead of asking for this huge amount in one year.

It has been stated more than once that landless persons would be provided with land by lowering the ceilings but nothing has been done so far. There are people who are owning thousands of acres of land in their own names or in the names of their relations. Government should distribute such land. The money should be given to settle Harijans and not for rest houses of P. W. D. Tubewells should be installed at places where water is not easily available. Government should take urgent steps to check floods in rivers coming from the hills of Shivalak in Hoshiarpur which wash away the roads and crops.

I want that the expenditure should be confined to emergent needs. It is regretted that drinking water is not available in submountainous regions. This work should be given top priority. The people who are interested insetting up industries in the border areas should be given loans at cheaper rates. The agriculturists should also be given incentive in these are as to keep up their morale. The Government should not spend funds extra vagantly.

Shri Teja Singh Swatantra (Sangrur): It is the third supplementary Budget of Punjab. I do not dispute the demands made for constructive purposes, but an additional demand of Rs. 1,13,00.000 has been made for the Police whereas we have already provided for more than Rs. 8-1/2 crores for the purpose. Besides, the officers being appointed in the Police service are not in a position to maintain law and order. The movements of naxalites cannot be crushed by provoking the youngmen. There is no use in increasing the strength of the Police. They should be given jeeps and wireless sets. This demand is unreasonable. I oppose this. There is lawlessness in Punjab. The Central Government has not been able to provide any relief to the people of Punjab. Many atrocities are being committed in Punjab and we cannot tolerate them. The cases of corruption are lying pending and follow up action is not being taken. May I know what is the difficulty in this regard ? I would like to suggest that while giving interim relief to the Central Government employees, they should also consider the question of giving the same to the State employees of Punjab.

The prices of agricultural produce have fallen but there is no control on the prices of other commodities. This is not proper. The law and order situation has deteriorated considerably. There are instances in which 50-51 persons have been shot dead. What type of democratic rule is this ? We cannot find such an example during the British rule. We cannot call it an encounter as has been stated in this report. I know an incidence in which one boy of my constituency has become naxalite but the entire family is being put

to various types of torture. Government should set up a commission to look into this case. Similarly, a person by the name of Piara Singh was absconding and the Police arrested his mother and sisters under section 302. This is highly improper. we can say that our Parliament is most progressive in the world but these things are happening which cannot be tolerated. I can give a list of such crimes.

रक्षा मन्त्री के वक्तव्य के बारे में

Re : Statement by Defence Minister

अध्यक्ष महोदय : रक्षा मन्त्री 1 बजकर 15 मिनट म०पू० पर एक वक्तव्य देंगे । इसलिए सभा की कार्यवाही 1 बजे स्थगित करने की बजाये वक्तव्य समाप्त होने तक जारी रहेगी ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पँजाब), 1971 72

Demands for Supplementary Grants (Punjab), 1971-72

Shri Teja Singh Swatantra (Sangrur) : In Karvatis two students were killed by the policc without anything wrong on their part. They were not connected with politics in any way.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

The district Congress has sent a memorandum to Mr. Mirdha in which it has been stated that this meeting of the District Executive of Congress recommends to the Governor of Punjab to order a judicial inquiry into the incident in village Taragarh on 25-9-71 leading to the death of two young men. The police has claimed that their drive against Naxalites is having a telling effect on the extremist forces in the State.

In view of this, I am not in favour of allocation of Rs. 1,13,00,000 to encourage the police to commit atrocities. It will bring an end to the democracy. Our party will be victimised. I warn the Government that we will not tolerate victimisation.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I support the supplementary demand for Rs. 31 crores. Punjab has made great sacrifices and has been bearing the brunt of Pakistani aggression.

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया संगत बातों का भी उल्लेख कीजिये । सारा इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम सहाय पांडे : मैं सारी कथा कहकर सदन को प्रेरणा देना चाहता हूं..... **(व्यवधान)**

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । पहले वक्ता ने पंजाब से सम्बन्धित कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख किया जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उनका पता नहीं है । इस समय केवल अनुपूरक अनुदानों की मांगों से संबन्धित बातों का उल्लेख ही किया जा सकता है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : महोदय ! सरदार दरबारा सिंह ने पंजाब में विद्यमान कुछ हालात का खूब उल्लेख किया किन्तु उस समय कोई आपत्ति नहीं की गई । मैं कुछ दिन से आप में कुछ परिवर्तन देख रहा हूं और आपसे सादर निवेदन करता हूं कि अनावश्यक रूप से कोई आपत्ति न उठाई जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहता किन्तु मुझे सदन के समय की चिन्ता है ।

अनुपूरक मांगों के बारे में सूची में जो विषय दिए हुए हैं उन पर बातें उठाने की अनुमति है किन्तु असंगत बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिये ।

Shri R. S. Panday : In view of this critical juncture when the Jawans of Puhjab are fightihg for the cause of their mother-land, we should grant the sum of Rs. 31 crores to Punjab happily.

The people of Punjab have played a leading role in this war and they have done glorious deeds. The mothers of Punjab have sent their brave sons on the borders to beat back the enemy. In this context, I want to say that it is not a matter of money but it is a matter of the values of democracy and sovereignty of the State.

In these circumstances when our Jawans are fighting on the borders they should not be allowed to feel that certain anti-social elements are active within the country and that they are engaged in sabotage. Therefore, it is the duty of the police administration to have a proper check over all these elements.

It is a matter of prlide that Punjab has produced both Jawans and the agriculturalists. Punjab has got a peculiar strategic portion in the map of this country. The Punjabis are brave people, competent enough to fight and they are giving a very good fight.

Rs. 4,52,310 have been demanded for the police establishment but no mention has been made regarding the availability of modern equipment to the police.

It is ridiculous to grant a sum of Rs. 22,58,500 for renovation of buildings and guest houses etc. More emphasis should be laid on taking relief measures for the Jawans ond their families in this critical time.

On behalf of the House, I pay tribute to the Jawans and the Sikh Regiment. I also salute the Jawans who are fighting on the borders with great enthusiasm. I also pray to God that they may be blessed with victory.

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : I rise to support the supplementary demands for grants for Punjab State and request that the amount so sanctioned should be utilised properly.

We are proud of our Jawans, specially from Punjab because of their bravery. But it is a matter of great concern for all of us that during the President's rule there is no law and order in that State. Political murders are taking place very often and big officers like D. S. P. and Sub-Inspectors are being victamised there. I request that the Government should take steps to maintain law and order there.

During the present state of emergency, it is not proper to sanction so much amount for the rest houses. I would like to point out that adequate measures for rehabilitating the people of certain areas, like Khemkaran, have not be adopted. During the

war of 1965, these people suffered a heavy loss of life and property. We learn from the daily statements that this time we have not suffered heavy losses on the Western front. Even then Government should try to rehabilitate the affected persons properly. I do not intend to oppose the demand for Police Establishment, but I demand that the anti-social elements, engaged in killing M. L. As and other political personalities should be checked immediately. In these circumstances. police has a great role to play to maintain law and order.

All of us are aware of the dispute taken place between the states of Punjab and Haryana on the issue of Fazilka and Abroh during the Akali Government in Punjab. According to the award of the Prime Minister, Fazilka and Abroh belong to Haryana and Chandigarh belongs to Punjab. During the Akali Government in Punjab, they discontinued the supply of water to Fazilka and Abroh as a result of which people of these places have been facing a great difficulty. I request the Government that during the President's rule these people should be provided with water supply in order to increase the production.

Shri Buta Singh (Rutpar) ; I am sorry to observe that the supplementary demands of Punjeb are not consistent with the present situation I therefore, request that the Punjab Administration be asked to recast these demads. I would like to know the reaction of the hon. Minister to it.

Sir, you should also kindly visit Punjab and see how the people are braving the situation. The workers and the agriculturalists of the areas which have been occupied by the military authorities for the defence measures have been rendered jobless. I demand that those persons should be rehabilitated. Regarding the items of inescapable expenditure I feel that expenditure proposed to be incurred on renovation of rest-houses cannot be said to be inescapable. I suggest that more emphasis should be laid on the supply of war material to the Jawans and not on these things. This demand should not be acceped.

The demand pertaining to the Subordinate Services Selection Borad could be dealt with much earlier by the popular Government of the State. This delay shows how inefficient the Punjab Administration is ?

I also suggest that the number of the top ranking police officers in Punjab should be decreased. The strength of Police and B. S. F. can be increased, if necessary, for the security of the conutry.

I would like to know from the hon. Minister the name of the officer who was responsible for the sum of Rs. 10 lakhs given to a film company.

All the trucks in Punjab are being utilised for the defence purposes, as a result of which all the perishable goods are lying in the market of Punjab. Railway wagons are also not available to lift the goods. I request the Government to take steps to lift these goods.

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : महोदय ! मैं भी पंजाब की बहादुर जनता की सराहना करता हूं । जहां तक इन मागों का सम्बन्ध है मध्यावधि चुनावों के कारण 1971-72 के लिए राज्य का बजट राज्य विधान सभा के समक्ष जनवरी 1971 में ही प्रस्तुत किया गया था । उसके पश्चात 30 जून 1971 तक के लिए लेखानुदान स्वीकार करके विधान सभा स्थगित हो गयी थी । उसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तथा राज्य का बजट संसद में जून 1971 में प्रस्तुत किया जा सका । उस समय जिन कुछ दरों को सम्मिलित नहीं किया गया था अब उन पर विचार करना आवश्यक हो गया ।

पुलिस पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्व से होने वाले कुल व्यय में से पुलिस पर केवल 6 प्रतिशत व्यय होता है। उत्पादक व्यय का भी प्रस्ताव है जिसमें भूमि अर्जन, सरकारी इमारतों का निर्माण और नगरीय सम्पदा-90 लाख रुपये, विकास कार्य 30 लाख रुपए, और सड़कों का विस्तार-10 लाख रुपया भी सम्मिलित है। राज्य बिजली बोर्ड को तथा पंजाब स्टेट कोओपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फैडरेशन को 60 लाख रुपयों के ऋण का प्रस्ताव है।

जहाँ तक सबोर्डिनेट सर्विसिज सलेक्शन बोर्ड का प्रश्न है यह बोर्ड पहली अप्रेल 1971 में स्थापित हुआ था। उसके व्यय के लिए धन राशि मांगी गई है। अतः यह कहना सच नहीं है कि बोर्ड कार्य नहीं कर रहा।

ग्रामीण जल सप्लाई की माँग को पूरा करने के लिए 1.80 करोड़ रुपयों की योजनाएं बनाई गई हैं।

गुरू नानक थर्मल प्लाँट की पहली यूनिट को मूलतः मार्च 1973 के अन्त तक चालू करने का निर्णय किया गया था। अब यह निर्णय किया गया है कि उसे अक्तूबर 1972 तक चालू कर दिया जाये जिसके लिए अतिरिक्त राशि की भी आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया है। आयोग की पहली बैठक भी हो चुकी है।

पंजाब के विधि परामर्शदाता की सलाह के अनुसार यह धन राशि और ब्याज बैंक को दिया जाना है, और अब कानूनी पग उठाये जा रहे हैं। निर्माता से इस राशि को वसूल करने के लिए दीवानी मुकदमा भी दायर किया जा रहा है।

फिरोजपुर जिले में मुक्तसर में छात्रों के आन्दोलन के दौरान पुलिस के मनमाने व्यवहार के बारे में शिकायत की गई है। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव द्वारा जांच की जानी थी। परन्तु चूंकि विभिन्न शिकायतें दायर की गई हैं, अतः यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इसी-लिए अतिरिक्त सचिव इस बारे में कार्यवाही नहीं कर सके हैं।

40 उग्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और 21 तस्करों में से 12 मामलों में नजरबन्दी को सलाहकार बोर्ड ने उचित ठहराया है। जहां तक पुलिस प्रशासन के बारे में उठायी गई बातों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि गृह मंत्रालय उसकी जांच करेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : मंत्रियों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के यात्रा खर्चों के बारे में क्या हुआ है।

Shri Darbara Singh : I want the Government to explain as to what is being done to do away with the unproductive items of expenditure in the Budget and to provide for help to the Jawans who are fighting and for compensation to the farmers who have not been able to sow their crops due to shelling and others.

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : अनुत्पादक मदों पर 22,58,000 रुपये व्यय किये जायेंगे। इसके बावजूद, जनता को सुरक्षा के लिए चन्दा करने को क्यों कहा जा रहा है ? क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि धन का इस प्रकार उपयोग न कर के रक्षा प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

Shri Bhogendra Jha : Will the hon. Minister give an assurance that the question of compensation to the farmers for their lands will be decided favourably ?

श्री के० आर० गणेश : इसमें कठिनाई केवल इतनी ही है कि इस अनुत्पादक व्यय का अधिकांश भाग सामान्य समय में व्यय किया जा चुका था। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे और इस विषय में सख्ती और संयम से काम लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands for Supplementary Grants were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
2.	राज्य आबकारी शुल्क	21,47,500
5.	अन्य कर तथा शुल्क	45,000
7.	रजिस्ट्री फीस	20,000
8.	संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	5,00,000
9.	सामान्य प्रशासन	5,51,000
11.	जेलें	10,00,000
12.	पुलिस	1,13 53,580
15.	वैज्ञानिक विभाग	90,400
16.	शिक्षा	6,0[illegible],000
20.	कृषि	239,820
21.	पशु पालन	3,00,000
23.	उद्योग	10
24.	सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य	1,37,50,000
26.	फुटकर समाज तथा विकास सम्बन्धी संगठन	5,76,000
27.	बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं	10
28.	सिंचाई, नौपरिवहन, बांध तथा जल निकासी कार्य (गैर वाणिज्यिक)	1,44,750
29.	सिंचाई सम्बन्धी पर प्रभार	4,25,000
30.	लोक निर्माण कार्य	27,59,070
39.	फुटकर	1,02,71,080
46.	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत खर्च	1,46,94,010
48.	सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजीगत खर्च	1,00,00,000
50.	सरकारी की व्यापार की परियोनाओं पर पूंजीगत खर्च	13,93,10,000
51.	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां	10,89,00,000

पँजाब विनियोग (सँख्या 2) विधेयक, 1971

Punjab Appropriation (No. 2) Bill, 1971

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग का प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दीजाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय । "

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खण्ड 2-3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2-3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जो दिये गए ।

Clouses 2-3, the scehedule, clouse 1, the Enecting Formula and the title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि विधेयक को पारित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

पूर्वोत्तर क्षेत्र(पुनर्गठन) विधेयक
North Eastern Areas (Reorganisation) Bill

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों की स्थापना का उपबन्ध करने और आसाम के विद्य राज्य का पुनर्गठन करके मेघालय राज्य और मीजोरम को तथा अरुणाचल प्रदेश को संघ र क्षेत्र बनाने का तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार वि जाए । "

गत वर्ष मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा कर लिए यह विधेयक प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आजकल दो राज्य, अर्थात् आसाम और नागालैन्ड हैं तथा मणिपुर त्रिपुरा दो संघ राज्य क्षेत्र हैं । इस समूचे क्षेत्र में 98000 वर्ग मील क्षेत्र आता है जो हमारे दे भौगोलिक क्षेत्र के 8 प्रतिशत से कुछ अधिक है इस क्षेत्र का बड़ा भूभाग पहाड़ी क्षेत्र है जह आबादी बहुत कम है । उन क्षेत्रों में आज-कल कई प्रशासनिक इकाईयाँ काम कर रही हैं और कई प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था हैं । इन प्रशासनिक इकाईयों की भौगोलिक स्थिति और समन्वित विकास और सुरक्षा के लिए समन्वय की आवश्यकता है । हमारा मुख्य उद्देश्य एव योजना बनाने का है जिससे प्रशासनिक ढाँचे को सुधारने में सहायता मिले, ताकि विभिन्न व लोगों को इसमें सक्रिय रूप से शामिल करके समूचे क्षेत्र का समन्वित विकास किया जा क्षेत्रीय पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप पुर्वोत्तर क्षेत्र में पांच राज्य अर्थात् आसाम, नागालैंड, मे मणिपुर और त्रिपुरा तथा दो संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात् मिजोरम (वर्तमान मिजोजिला) और अ चल प्रदेश (वर्तमान नेफा) होंगे ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के बहुत बडे भाग का विकास करना बाकी है । इस क्षेत्र के विकास एक समेकित योजना आवश्यक है । एक ही क्षेत्र में कुछ भाग अधिक पिछड़े हुए हैं तथा विकास करना है, चाहे वे किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में हों । इसके लिए इ की जरूरत है कि सड़कों के निर्माण, परिवहन सुविधाओं के सुधार, विद्युत प्रजनन तथा अ करण के लिए एक गतिशील कार्यक्रम बनाया जाये, जिससे उस क्षेत्र के सब राज्यों, एवं सं क्षेत्रों को समानरूप से लाभ हो ।

इस प्रकार का कार्यक्रम समूचे क्षेत्र के लिए बनाया जाना तथा क्रियन्वित किया जाना आवश्यक है तथा इस के लिये राज्यों की सीमाओं को नहीं अपितु समूचे क्षेत्र को ध्यान में रखना है। इन राज्यों के वित्तीय संसाधन बहुत ही सीमित हैं। अतः उनके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। इसलिए सामान्य राज्य योजनाओं के अतिरिक्त समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये एक क्षेत्रीय योजना बनाने का विचार है। वर्ष 1970 के अधिनियम में अपेक्षित तन्त्र का पुनर्गठन किया जायेगा।

इस क्षेत्र के विकास के अतिरिक्त हमने गठित किये जाने वाले एककों की विशेष समस्याओं पर भी विचार किया है। मणिपुर में आदिमजातीय लोगों को संरक्षण देने के लिए एक योजना बनाने की समस्या है। त्रिपुरा में आदिमजातीय लोगों के हितों के संरक्षण के लिये कुछ उपाय करना जरुरी है। प्रस्तावित संघ राज्य क्षेत्र के लिये एक विधान मंडल तथा मंत्री परिषद् बनाने के लिये एक विधेयक लाने का हमारा विचार है। नेफा में पहले ही अभिकरण परिषद् मौजूद है। इस को प्रदेश परिषद में परिवर्तित करने का विचार है, ताकि वह एक प्रभावकारी तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य कर सके। प्रशासक को परामर्श देने के लिये परामर्शदाताओं के रूप में इस परिषद् के कुछ सदस्यों को नियुक्त करने का भी प्रस्ताव किया गया है। एक पृथक विधेयक द्वारा इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जायेगा।

वर्तमान विधेयक में योजना के एक पहलू, अर्थात् क्षेत्रीय पुनर्गठन पर विचार किया गया है। अतः सभा को इस विधेयक पर नये राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र बनाने वाले विधान के रूप में विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि समूचे क्षेत्र के लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने वाले विधेयक के रूप में विचार करना चाहिए।

विधेयक का मूल उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करना है ताकि इससे क्षेत्र के विकास सम्बधी भारी कार्य को पूरा किया जा सके और इस क्षेत्र के लोगों का कल्याण किया जा सके। इस विधेयक से लाभान्वित होने वाले लोग इस विधेयक में प्रस्तावित सुधारों की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहें हैं। आशा है कि सभा इस विधेयक का समर्थन करेगी तथा इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों की स्थापना का उपबन्ध करने और आसाम के विद्यमान राज्य का पुनर्गठन करके मेघायल राज्य और मीजोरम को तथा अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र बनाने का तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री शिवनाथ सिंह (झुझनु) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों की स्थापना का उपबन्ध करने और आसाम के विद्यमान राज्य का पुनर्गठन करके मेघालय राज्य और मीजोरम को तथा अरूणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र बनाने का तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को निम्नलिखित नौ सदस्यों की प्रवर समिति के पास इस अनुदेश के साथ भेज दिया जाये कि वे अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के पहले सप्ताह तक देवें।

(1) श्री विश्वेश्वर नाथ भार्गव
(2) श्री दूदन लाल
(3) श्री मूल चन्द डागा
(4) श्री हीरा लाल डोजा
(5) श्री नाथूराम मिर्धा
(6) श्री कृष्ण चंद्र पंत
(7) श्री नरेन्द्र कुमार सांधी
(8) श्री नवल किशोर शर्मा; और
(9) डा० एच० पी० शर्मा

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कल चर्चा जारी रहेगी।

भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति के बारे में वक्तव्य

Statement re : latest Position with regard to Pakistani Aggression on India

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : पाकिस्तान द्वारा हम पर थोपे गये युद्ध का आज ग्यारहवाँ दिन है। पाकिस्तान अपने उद्देश्य में पूर्णतया असफल रहा है, उसे इस युद्ध में बहुत ही क्षति हुई है जो विदेशों द्वारा सहायता देने पर ही पूरी हो सकती है।

मैं अब विभिन्न क्षेत्रों में हो रही लड़ाई का ब्यौरा दूंगा।

उड़ी, पुंछ, रजौरी और नौशेरा क्षेत्रों में हमारी द्वारा हमारी रक्षा पंक्ति के पीछे से आने अथवा उसे सामने से तोड़ने के प्रयास विफल कर दिये गये हैं। दुश्मन की कई चौकियों पर हमले करके उन्हें ले लिया गया है।

छम्ब क्षेत्र में दुश्मन को मुनावर तवी के पश्चिमी भाग की ओर धकेल दिया गया है परन्तु वह अभी भी इसके पश्चिम भाग की ओर है। उसके पूर्वी भाग में बार-बार घुसने के प्रयासों को विफल कर दिया गया है। साम्बा-पठानकोट क्षेत्र में हमारी स्थिति मजबूत हो रही है और महत्व-पूर्ण संचार साधनों की रक्षा की जा रही है।

पंजाब क्षेत्र में दुश्मन द्वारा हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने के बार-बार प्रयास किये गये हैं। इस प्रक्रिया में रावी नदी के दोनों भागों पर दोनों पक्षों का अधिकार है, कुछ दिनों से वहाँ युद्ध नहीं हो रहा है।

जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में दुश्मन के हमले को विफल कर दिया गया है। दुश्मन को भारी क्षति हुई है। हमारी सेना उनके क्षेत्र में आगे बढ़ गई है। नयाछोड़ के लिए युद्ध जारी है। राजस्थान की सीमाओं को दुश्मन के हमलों के भय से मुक्त करा दिया गया है।

कच्छ क्षेत्र में हमारी सेना ने बीरवाह के महत्वपूर्ण शहर तथा नागरपरकार क्षेत्र पर अधिपत्य जमा लिया है। सिंध के लगभग 1 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर हमारा अधिकार है वहां नागरिक शासन स्थापित किया जा रहा है।

हमारी सेना मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर बंगला देश के बडे भाग को मुक्त करने में सफल रही है। कई बडे नगर जैसे नोआखली, लक्ष्मण, फेणी आदि दुश्मन के कब्जे से मुक्त करा लिये गये हैं। पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण कर रही है। दुश्मन पीछे रहते हुए पुल आदि नष्ट कर रहा है, मुक्ति वाहिनी नदी पार करने में हमारी सेना की मदद कर रही है। वहां हेलीकोप्टर से भी सेना उतारी गई है तथा छाताधारी सैनिकों को ढाका के उत्तरी क्षेत्र में उतारा गया है और उन्होंने मुक्ति बाहिनी तथा हमारी स्थल सेना से सम्पर्क स्थापित कर लिया है।

हमारी सेनायें ढाका को चारों ओर से घेरती जा रही है। ढाका के कई भाग हमारी तोपों की मार के अन्दर हैं। हमारे सेनाध्यक्ष ने पाकिस्तानी सेनाओं को दो बार आत्मसमर्पण करने को कहा है परन्तु उसका कोई उत्तर नहीं मिला है, उन्होंने कल तीसरा संदेश भेजा है जिसमें उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा गया है, उन्होंने कहा है कि यदि पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण नहीं करना चाहती है तो सभी नागरिकों और विदेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाना चाहिए, मुझे आशा है कि वे सेनाध्यक्ष मानिकशा का परामर्श स्वीकार करेंगे।

हम बंगला देश के नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य से अवगत हैं। बंगला देश की सरकार से कहा गया है कि वह वहां के नागरिकों को हर प्रकार की हिंसा तथा दुर्व्यवहार से बचाए।

हमने कराची, इस्लामाबाद और ढाका से विदेशियों को निकालने में अपना सहयोग दिया है। हमारी वायु सेना ने निर्धारित अवधि में अपनी कार्यवाही स्थगित रखी, इसी प्रकार पाकिस्तानी हों से तटस्थ जहाजों को चले जाने में हमारी नौसेना ने भी सहयोग दिया है परन्तु ानी सेनाओं ने ऐसी अवधि का उपयोग अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए किया है।

पाकिस्तानी वायु सेना ने अपने हमलों में जमीन पर खडे विमानों, राडार, हवाई पट्टियों आदि को नष्ट करने का प्रयास किया था परन्तु वे जमीन पर खडे केवल एक ही विमान को नष्ट कर सके और हमारी हवाई पट्टियों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा है। दूसरी ओर हमारे विमानों ने अपने आक्रमणों में पाकिस्तानी सिगनल यूनिटों, विमान पट्टियों तथा अन्य ठिकानों को काफी क्षति पहुंचाई है। अब पाकिस्तानी विमान दिन में हमला करना नहीं चाहते हैं, तथा वे रात को ही हमला करते हैं। भारतीय वायु सेना ने अपना ध्यान पाकिस्तानी सेनाओं की रक्षापंक्ति तथा चक्रव्यूह को तोड़ने में लगाया है। बगला देश और पश्चिमी सीमाओं में आगे बढ़ने में उसने स्थल सेनाओं की बहुत सहायता की है।

हाल ही में पाकिस्तान ने अन्धाधुन्ध गोलाबारी करनी आरम्भ कर दी है। तीन दिन पहले जालन्धर के निकट कुछ गाँवों में गोलाबारी करने से 100 के लगभग नागरिक मारे गये हैं। जौरिआं के एक असैनिक अस्पताल को भी क्षति पहुँची है। श्रीनगर में भी नागरिकों पर गोलाबारी की गई है। हमारी वायु सेना केवल सैनिक ठिकानों पर ही गोलाबारी करती है।

यह सभा भारतीय नौसेना के कार्यों से भी अवगत होगी जिसने कराची बन्दरगाह की रक्षा-पंक्ति को तोड़ दिया है तथा पाकिस्तानी नौसैनिक ठिकानों पर भी गोलाबारी की हैं। इससे पाकिस्तान के नौसैनिक बेड़े को भारी क्षति पहुंची है और उनका समुद्र के मार्ग द्वारा बंगला देश से संबंध विच्छेद हो गया है। निषिद्ध वस्तुएं ले जाने वाले जहाजों को जब्त कर दिया गया है। अन्य देशों के जहाजों को युद्ध स्थल से दूर चले जाने का पर्याप्त मौका दिया गया है। हमारे किसी भी व्यापारी जहाज को क्षति नहीं पहुँची है तथा सभी बन्दरगाह सुरक्षित हैं हमने केवल एक विध्वंसक जहाज खोया है।

माननीय सदस्य इस युद्ध में हताहतों की संख्या जानने को उत्सुक होंगे। कल 6 बजे तक प्राप्त आंकड़े इस प्रकार हैं।

वीर गति प्राप्त	1,978
घायल	5,025
लापता	1,662

पाकिस्तान की हताहतों की संख्या बहुत अधिक है। अब तक पाकिस्तान के नियमित सेनाओं के 4,102 अधिकारी और जवान तथा अर्द्धसैनिक संगठन के 4,066 अधिकारी और जवान हमारी हिरासत में हैं। हमने 175 पाकिस्तानी टैंक नष्ट किये हैं इनमें 18 सही हालत में पकड़े गये टैंक शामिल हैं। हमने केवल 61 टैंक खोये हैं।

भारतीय वायु सेना के नौविमान चालकों और 3 नौ चालकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। 33 विमान चालक और 3 नौचालक लापता हैं। हमारे 41 विमान तथा 1 नौसैनिक विमान नष्ट हुए हैं। पाकिस्तान के लगभग 83 विमान नष्ट हुए हैं।

पाकिस्तान की नौसेना को 2 विध्वंसक जहाज, सुरंग हटाने वाले 2 जहाज, 2 पनडुब्बियाँ, 16 तोपयी नौकाओं और विविध किस्म के 12 जहाजों से हाथ धोना पड़ा है, हमें यह ज्ञात नहीं है कि उनके कितने नौसैनिक अधिकारी तथा नौसैनिक कर्मचारी हताहत हुए हैं।

हमने 1 विध्वंसक जहाज खोया है, आई० एन० एस० खुकरी के 18 अधिकारी और 173 नौचालक अभी भी लापता हैं। 6 अधिकारियों और 91 नौचालकों को बचा लिया गया है।

आशा है कि माननीय सदस्य मेरे साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हुए वीरों के निकट संबंधियों को हार्दिक सहानुभूति प्रकट करेंगे तथा उन सशक्त सेनाओं को अपनी कृतज्ञता अर्पित करेंगे जिन्होंने दुश्मन की भूमि पर युद्ध लड़ा है।

हम बंगला देश की मुक्ति वाहिनी की भी प्रशंसा करते हैं जिन्होंने हमारी सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ा है। स्वतन्त्रता सेनानियों की वीरता के कारण ही शत्रु टिक नहीं सका है। हमें आशा है कि मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना संयुक्त अभियान द्वारा शीघ्र ही बंगला देश को स्वतन्त्र करा लेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा कल 10 बजे म० पू० पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 15 दिसम्बर 1971/24 अग्रहायण 1893 (शक) के दस बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till ten of the clock on wednesday, December 15, 1971/ Agrahayana 24, 1893 (Saka).

Sumer Printing Press, Ganesh Nagar, New Delhi-18